

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :- रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा न०- 251/2022

जी सी एम एस न० 2022/562

दर्ज दिनांक 24.06.2022

निर्णय दिनांक 19.04.2023

श्रवण

बनाम

खेताराम आदि


अंतिम निर्णय

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13.02.2023 को प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया गया गढलाखुर्द पटवार हल्का गढलाखुर्द तहसील गुढागौड़जी जिला झुन्झुनूं की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 73 व पुराना खाता 69 जिसके खसरा न. 2 रकबा 5.5300, खसरा न. 20 रकबा 0.47 है० कुल किता 2 का कुल रकबा 6.0000 है० तथा ग्राम नंगलदीपसिंह पटवार हल्का मैनपुरा तहसील गुढागौड़जी की भूमि खाता संख्या नया 15 व खाता संख्या पुराना 12 जिसका खसरान 303, 316, 317, 318, 320, 327, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 335, 489/319 कुल किता 14 कुल रकबा 6.9300 है० में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार गुढागौड़जी उभयपक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें।


प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.02.2023 की पालना में तहसीलदार (भू.अ.) गुढागौड़जी से पत्र क्रमांक:- भू.अ./2023/760 दिनांक 29.03.2023 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान की बहस श्रवण की गई। विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान सहमत है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में वाद को विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 29.03.2023 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 29.03.2023 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।


रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 19.04.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं
अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

पीठासीन अधिकारी :- रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा न०- 251/2022

जी सी एम एस न० 2022/562

दर्ज दिनांक 24.06.2022

निर्णय दिनांक 19.04.2023

श्रवण

बनाम
अंतिम निर्णय
दावा विभाजन

खेताराम आदि

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी उदयपुरवाटी ब हाजिरी उभयपक्षकारान मिनजानिब मुदई वल्द ...
-..मिनजानिब मदयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :-

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 29.03.2023 को अंतिम डिक्री
किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 29.03.2023 मय नजरी नक्शा अंतिम
निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार गुढागौड़जी को
आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में
तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।
निज..-.....निल..... मुबलिक -.....निल..... दाबन.-.....
.....निल..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह -..
.....निल..... फीसदी आज की तारीख से तारीख अदायगी तक -..
.....निल..... का अदा करे। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के
आज तारीख 19 माह 04 सन 2023 को जारी की गई।

रामसिंह राजावत
(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी